


राजस्थान सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ  
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांक:- एफ.11(3)(मों)/इन्फ्रा /मरम्मत/ICDS/2015-16/105311 जयपुर, दिनांक: 24/09/20  
उपनिदेशक  
समेकित बाल विकास सेवाएँ,  
समस्त।

विषय:- राज्य में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पेयजल कनेक्शन के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि समेकित बाल विकास सेवाएँ द्वारा राज्य में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों जिनमें पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जहां जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पाइपड स्कीम है वहां आंगनवाड़ी केन्द्रों में पेयजल कनेक्शन हेतु जल जीवन मिशन के तहत आवेदन किया जा सकता है। इस संबंध में पेयजल कनेक्शन लिये जाने हेतु आवेदन की आवश्यक कार्यवाही करावें व साथ ही इसके प्रस्ताव निदेशालय को विभागीय ई-मेल आई-डी [jdwm.wcd@rajasthan.gov.in](mailto:jdwm.wcd@rajasthan.gov.in) पर शीघ्र ही भिजवाने की व्यवस्था करें जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके।


  
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.11(3)/मों/इन्फ्रा/आईसीडीएस/2015-16/105334-638 जयपुर, दिनांक: 24/09/20  
प्रतिलिपी :-

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग समस्त को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि पेयजल रहित आंगनवाड़ी केन्द्र जहां जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पाइपड स्कीम है उन आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पेयजल कनेक्शन करवाने हेतु केन्द्रों की सूची संबंधित उप निदेशक महिला एवं बाल विकास को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करावें।

2. ACP, मुख्यालय, वेब साइट पर अपलोड करके बाकर-।

  
निदेशक 23/9/20

समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर